	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 22, मंगलवार, *शाके 1946*-अगस्त 13, *2024* *Sravana 22, Tuesday, Saka 1946- August 13, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जुलाई 23, 2024

संख्या प.2(43) वन/2024 :-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन-भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा उनके किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा अथवा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार के लेखबद्व नहीं किये गये है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में अथवा उन पर सरकारी या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्व किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुचने की आशंका है,

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 की एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट आफिसर/असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेंट आफिसर को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्व करने हेतु नियुक्त करती है, तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साक्ष्य उसी प्रणाली से किया जायेगा जैसाकि उक्त एक्ट की धारा 6,7,8,10,11 (1) 12,13,14,17 तथा 19 में प्रवाहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है, परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनु सूची में अंकित किये गये है, राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उनसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का

कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्व करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर-भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से
(मोनाली सेन,
विशिष्ट शासन सचिव, वन

प्रथम अनुसूची

क्र. सं.	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण			
					ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सरगांव-ए	सहाडा	भीलवाडा	उत्तर- आराजी नं. 14 पूर्व- आराजी नं. 16 पश्चिम – सीमा गांव उम्मेदपुरा व वन भूमि दक्षिण- आराजी नं.328	सरगांव	15	34.4500	जंगलात
					वनखण्ड का योग	किता-1	34.4500	

क्र. सं.	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण			
					ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	सरगांव-बी	सहाडा	भीलवाडा	उत्तर- आराजी नं. 1 पूर्व- सीमा गांव टोडी पश्चिम –आराजी नं.12 दक्षिण- आराजी नं.3	सरगांव	2	8.0000	जंगलात
					वनखण्ड का योग	किता-1	8.0000	

क्र. सं.	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण			
					ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	सरगांव-की	सहाडा	भीलवाडा	उत्तर- सीमा गांव मंडपिया पूर्व- सीमा गांव सरगांव व वन भूमि पश्चिम –आराजी नं.1553/757 दक्षिण- आराजी नं.1527	उम्मेदपुरा पू.	1554/757	19.0300	गेमु पहाड़
					वनखण्ड का योग	किता-1	19.0300	

क्र. सं.	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण			
					ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर	भूमि किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	सरगांव-की	सहाडा	भीलवाडा	उत्तर- आराजी नं.558 पूर्व- सीमा गांव टोडी पश्चिम –आराजी नं.1556/559 दक्षिण- आराजी नं.561/1546	मंडपिया	1557/560 1555/559	0.2700 1.8900	गेमु खड्डा गेमु पहाड़
					वनखण्ड का योग	किता-2	2.1600	

क्र. सं.	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण			
					ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर	भूमि किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	सरगां.	सहा	भील	उत्तर- आराजी नं.434	मंडपिया	435	2.5000	गेमु पहाड़

				पूर्व- सीमा गांव टोडी पश्चिम –आराजी नं.437 व 438 दक्षिण- आराजी नं.1554/554 व 556		1553/554	0.7400	बीड़
					वनखण्ड का योग	किता-2	3.2400	

क्र. सं.	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण			
					ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर	भूमि किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	सरगांव-फड़	सहाड़ा	भीलवाड़ा	उत्तर- आराजी नं.1564/432 पूर्व- सीमा गांव टोडी पश्चिम –आराजी नं. 1564/432 दक्षिण- आराजी नं.434	मंडपिया	1551/432	0.7700	बीड़
					वनखण्ड का योग	किता-1	0.7700	

क्षेत्रीय वन अधिकारी
गंगापुर (भीलवाड़ा)

उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा

वनखण्ड सरगांव (ए,बी,सी,डी,ई,एफ)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

क्र.सं.	वानस्पतिक नाम	हिन्दी नाम
1	*Acacia Leucophloea*	रोंझ
2	*Acacia nilotica*	देशी बबूल
3	*Azadirachta indica.*	नीम
4	*Dalbergia sissoo, Roxb*	शीशम
5	*Zizyphus nummularia*	झड़ बेरी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
गंगापुर (भीलवाडा)

उप वन संरक्षक
भीलवाडा

प्रमाण पत्र

वनखण्ड - सरगांव (ए,बी,सी,डी,ई,एफ)
रेंज - गंगापुर
वन मंडल - भीलवाडा

1.संलग्न प्रारूप में दर्शायी गई भूमि का वर्गीकरण कमशः गेमु नर्सरी है जिसे विज्ञप्ति के कालम 7 सें 9 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।
2.वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रों में विकास कार्य करवाया गया है। इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन् कार्य नहीं हो रहा है।
3.प्रस्तावित वन क्षेत्र में समस्त क्षेत्र पूर्व से ही विभाग के अधीन है,जिन पर वानिकीय विकास कार्य कराये गये है एवं भविष्य में इस क्षेत्र मे विकास कार्य कराये जाने की संभावना है।
4.प्रस्तावित भूमि पर वृक्षों का घनत्व कुछ क्षेत्रों में 0.1 से 0.2 तक का है एव इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियों नीम, शीशम, रोंझ, देशी बबूल, झड़ बेरी प्रजातियों के पेड एव झाडिया है।
5.प्रस्तावित क्षेत्र की समस्त भूमि वन विभाग के अधीन हैं तथा समीपवर्ती खातेदारी भूमिया वन सीमाओं से पृथक है तथा चारों ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कालम संख्या 5 में कर दिया गया है।
6. वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शे) संलग्न है, एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्रों की सीमा को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है।
7.प्रस्तावित वनों के प्रारूप यथाविधि पूर्व में नही भेजने के कई कारण रहे है, किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रो के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमो के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है।
8.उक्त वन भूमि का पूर्व मे राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
गंगापुर (भीलवाडा)

उप वन संरक्षक
भीलवाडा

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।